न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88,53 आरटीए
प्रकरण संख्याः–346/2019

श्रवण कुमार पुत्र तुलछाराम जाति मीणा निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम्

1.तुलछाराम पुत्र भेराराम
2.शिशपाल मीणा पुत्र तुलछाराम } जाति मीणा निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3.गिरदावरी पुत्री तुलछाराम पत्नी गज़ूराम
4.शीला पुत्री तुलछाराम पत्नी मांगीलाल } जाति मीणा निवासी अनूपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

5.मीरा पुत्री तुलछाराम पत्नी रामप्रसाद जाति मीणा निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6.तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री मदनसिह बुरड़क अधिवक्ता वादी
श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 05.03.2021

वादी श्रवण कुमार नें प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादीसं0 1 के नाम से चकनं0 2 एम जैड डबल्यू जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 21/22 में कुल 7.087 है0 व चकनं0 10 एजीए के खाता सं0 23/20 में कुल 4.956 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है।वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है व आपस मे रक्त सम्बन्धी है।वाद पत्र की दफा 2 में वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 का जन्म से हक व हक व हिस्सा बनता है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बटवारां हो गया थां, व घरू बटवारां मे प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी में से मौखिक त्याग वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में ब0हि0ब0 कर दिया था तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी व प्रतिवादी सं0 2 को भूमि बटवारां कर दी थी जिस पर वादी व प्रतिवादीसं0 2 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है। घरू बटवारां मे वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी वादी को प्राप्त हुई है। वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज घरू बटवारां मे प्राप्त आराजी वादी अपने नाम सें राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 10 एजी ए के खाता सं0 23/20 व चकनं0 2 एम जैड डबल्यू के खाता सं0 21/22 मे से प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का हम पक्षकारान के मध्य आपस में घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां मे हमं प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी में से मौखिक त्याग वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में ब0हि0ब0 कर दिया था तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी व प्रतिवादी सं0 2 को भूमि बटवारां कर दी थी जिस पर वादी व प्रतिवादीसं0 2 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है। घरू बटवारां मे वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी प्राप्त हुई है। वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है।इसलिए उपरोक्त बटवारां के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीसं0 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 10 एजी ए के खाता सं0 23/20 व चकनं0 2 एम जैड डबल्यू के खाता सं0 21/22 मे से प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा यथावत रखा जाता है तो हम पक्षकारान को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आईडी की फोटो प्रति व वादी का साक्ष्य के रुप मे शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वादी द्वारा पैतृक सम्पति बाबत अपने दादा भैरा वल्द चान्दा के नाम की मौजा मिर्जावाली खाता सं0 1/73 की फर्द संवत 2003 व इसी फर्द के मुताबिक वादी के पिता को सम्पति प्राप्त हुई है व जो दस्तावेज खेवट खतौनी की मिर्जावाली संवत 2011 ता 14 व 2015, वारिसनामा, वारिसनामा बाबत स्टाम्प श्रवण कुमार आदि पेश किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है।वाद में राजीनामा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है।वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां राजीनामा के अनुसार हो चुका है। वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज भूमि बटवारां में वादी को प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है।वादी द्वारा पैतृक सम्पति बाबत भैरा वल्द चान्दा के नाम की मौजा मिर्जावाली खाता सं0 1/73 की फर्द संवत 2003 व इसी फर्द के मुताबिक वादी के पिता को सम्पति प्राप्त हुई है व जो दस्तावेज खेवट खतौनी की मिर्जावाली संवत 2011 ता 14 व 2015 की जमाबन्दी पेश की गई है।वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी,राजीनामा,वादी का शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज भैरा वल्द चान्दा के नाम की मौजा मिर्जावाली खाता सं0 1/73 की फर्द संवत 2003 व इसी फर्द के मुताबिक वादी के पिता को सम्पति प्राप्त हुई है व जो दस्तावेज खेवट खतौनी की मिर्जावाली संवत 2011 ता 14 व 2015 प्रस्तुत की गई जिससे पैतृक सम्पति होना साबित है।

प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, जमाबन्दी, सहमति–पत्र व पैतृक सम्पति बाबत भैरा वल्द चान्दा के नाम की मौजा मिर्जावाली खाता सं0 1/73 की फर्द संवत 2003 व इसी फर्द के मुताबिक वादी के पिता को सम्पति प्राप्त हुई है व जो दस्तावेज खेवट खतौनी की मिर्जावाली संवत 2011 ता 14 व 2015 आदि के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है।वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि क.वादी श्रवण कुमार को चकनं0 10 एजी ए के प0न0 209/370 मु0 20 किलानं0 16,17, 24/2/.202,25/2/.202, प0न0 210/370 मु0 21 किलानं0 21/2/.202, चकनं0 2 एम जैड डबल्यू के प0न0 205/364 मु0 21 किलानं0 21 ता 24, 25/1/.228, 25/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, प0न0 205/365 मु0 25 किलानं0 1 ता 4, 5/1/.228, 5/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, ख.प्रतिवादीसं0 2 शिशपाल मीणा को चकनं0 10 एजी ए के प0न0 210/370 मु0 21 किलानं0. 16/1/.240, 16/2/.013 है0 रास्ता, 17/.253, 23/2/.202, 24/2/. 202, 25/2/.013 गैं0मु0 रास्ता, 25/3/.189 है0, चकनं0 2 एम.जैड डबल्यू के प0न0 205/365 मु0 25 किलानं0 6/1/.228, 6/2/.025 है0 खाला, 7 ता 14, 15/1/. 228, 15/2/.025 है0 गै0मु0 खाला के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 10 एजी ए के खाता सं0 23/20 व चकनं0 2 एम जैड डबल्यू के खाता सं0 21/22 मे से प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–346 / 2019

श्रवण कुमार पुत्र तुलछाराम जाति मीणा निवासी मिर्जावाली मैरं तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. तुलछाराम पुत्र भेराराम
2. शिशपाल मीणा पुत्र तुलछाराम } जाति मीणा निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. गिरदावरी पुत्री तुलछाराम पत्नी गजूराम
4. शीला पुत्री तुलछाराम पत्नी मांगीलाल } जाति मीणा निवासी अनूपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. मीरा पुत्री तुलछाराम पत्नी रामप्रसाद जाति मीणा निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री मदनसिह बुरड़क वकील वादी मिन् जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन् जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि **क.**वादी श्रवण कुमार को चकनं0 10 एजी ए के प0न0 209 / 370 मु0 20 किलानं0 16,17, 24 / 2 / .202,25 / 2 / .202, प0न0 210 / 370 मु0 21 किलानं0 21 / 2 / .202, चकनं0 2 एम जैड डबल्यू के प0न0 205 / 364 मु0 21 किलानं0 21 ता 24, 25 / 1 / .228, 25 / 2 / .025 है0 गै0मु0 खाला, प0न0 205 / 365 मु0 25 किलानं0 1 ता 4, 5 / 1 / .228, 5 / 2 / .025 है0 गै0मु0 खाला, **ख.**प्रतिवादीसं0 2 शिशपाल मीणा को चकनं0 10 एजी ए के प0न0 210 / 370 मु0 21 किलानं0 16 / 1 / .240, 16 / 2 / .013 है0 रास्ता, 17 / .253, 23 / 2 / .202, 24 / 2 / .202, 25 / 2 / .013 गै0मु0 रास्ता, 25 / 3 / .189 है0, चकनं0 2 एम.जैड डबल्यू के प0न0 205 / 365 मु0 25 किलानं0 6 / 1 / .228, 6 / 2 / .025 है0 खाला, 7 ता 14, 15 / 1 / .228, 15 / 2 / .025 है0 गै0मु0 खाला के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 10 एजी ए के खाता सं0 23 / 20 व चकनं0 2 एम जैड डबल्यू के खाता सं0 21 / 22 मे से प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X.....निल..........X मुब्लिक..X...निल........X.......बाबत्..........X...निल...........X.........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X.......अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05.03.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी